सेन्ट्रल बैंक ऑफ़ इंडिया
Central Bank of India
CENTRAL TO YOU SINCE 1911

विषय: लघु एवं मध्यम उद्यमों (एसएमई) के लिये ऋण पुनर्निधारण प्रक्रियाविधि

लघु और मध्यम उद्यमों के ऋण प्रवाह मे सुधार हेतु माननीय वित्त मंत्री द्वारा की गई घोषणा के अनुरूप एसएमई क्षेत्र की इकाइयों में सभी बैंकों के लिये ऋण पुनर्निर्धारण प्रक्रिया लागू किया जाना अनिवार्य है.

तदनुसार भारतीय रिजर्व बैंक ने अपने परिपत्रांक डीबीओडी.बीपी.बीसी.नं0.34/21.04.132/2005-6, दिनाँक 8.9.2005 के द्वारा एसएमई खातों के पुनर्निर्धारण के लिये सामान्य दिशानिदेश जारी किये हैं, जो कॉर्पोरेट ऋण पुनर्निर्धारण प्रक्रिया के साथ साथ बैंकिंग क्षेत्र के लिये भी अनुकूल हैं और बैंकों को परामर्श दिया गया है की वे एसएमई खातों की पुनर्निधारण प्रक्रिया को लागू करें. हमारे बैंक के बोर्ड ने दिनाँक 13.3.2006 को आयोजित अपनी बैठक में उपर्युक्त दिशानिदेशों को लागू करने का अनुमोदन किया है.

एसएमई पुनर्निर्धारण विषयक दिशानिदेशों का सारांश निम्नवत है:-

1. **एसएमई की परिभाषा:-**
   वर्तमान में एक ऐसी लघु उद्योग इकाई जिसके संयंत्र और मशीनरी में निवेश रु.1 करोड़ से अधिक न हो सिवाय होजियरी, हस्त उपकरण, दवा और औषधि, स्टेशनरी मद और खेलकूद के सामान की विशिष्ट मदें जिनमें निवेश सीमाओं रु. 5 करोड़ तक बढ़ाया गया है, को एमएसई माना गया है. लघु उद्योग से लघु एवं मध्यम उद्यम के रूप में आमूल परिवर्तन हेतु एक विस्तृत विधेयक संसद के अधीन विचाराधीन है. उपर्युक्त विधेयक के लंबित रहने की स्थिति में लघु उद्योग/ छोटे उद्योगों की वर्तमान परिभाषा यथावत रहेगी. एक ऐसी इकाई जिसमें संयंत्र और मशीन में निवेश लघु उद्योग सीमा से अधिक लेकिन रुपये 10 करोड़ तक हों, को मध्यम उद्यम (एमई) माना जायगा.

2. **पात्रता मानदंड**
   (i) ये दिशानिदेश निम्नलिखित व्यवहार्य एवं संभावित व्यवहार्य इकाईयों पर लागू होंगे :
   - ए) सभी गैर कॉरपोरेट एसएमई, उनका बैंक ऋण चाहे कितना भी हो
   - बी) सभी कॉरपोरेट एसएमई जो एक ही बैंक से बैंकिंग सुविधाओं का लाभ ले रहे हैं, उनका बैंक ऋण चाहे कितना भी हो
   - सी) सभी कॉरपोरेट एसएमई, जिनका बहु/संघीय बैंकिंग व्यवस्था के अन्तर्गत निधिगत और गैर-निधिगत बकाया रु.10 करोड़ तक हो(रु.10 करोड़ एवं अधिक की बकाया राशियों के लिए अलग से दिशानिर्देश प्रतीक्षित है.)

(ii) जानबूझकर चूककर्ता खाते, जालसाज एवं भ्रष्टाचारी इन दिशानिर्देशों के अंतर्गत पुनर्निर्धारण हेतु पात्र नहीं होंगे.

(iii) बैंक द्वारा "हानिगत आस्ति" के अंतर्गत वर्गीकृत खाते पुनर्निर्धारण हेतु पात्र नहीं होंगे.

(iv) औद्योगिक एवं वित्तीय पुननिर्माण बोर्ड के मामलों में बैंकों को पैकेज लागू करने से पूर्व बीआईएफआर से अनुमोदन प्राप्त करने विषयक सभी औपचारिकताएं पूरी करना सुनिश्चित कर लेना चाहिये.

***3.* व्यवहार्यता मानदंड**

बैंक स्वीकार्य मानक व्यवहार्यता, जिसमें ईकाई 07 वर्ष में व्यवहार्य-सक्षम हो जाय और पुनर्निर्धारित ऋण की अदायगी अवधि 10 वर्ष से अधिक न हो, का निर्णय करें.

***4.* पुनर्निर्धारित खातों के लिए विवेकपूर्ण मानदंड**

i) पुनर्निर्धारण के अधीन "मानक" खाता निरुपण

ए) सिर्फ मूलधन की किस्त का पुनर्निधारण किये जाने से कोई मानक आस्ति अवमानक संवर्ग में वर्गीकृत नहीं होगा बशर्ते कि ऋणी की संपूर्ण बकाया राशि गोचर प्रतिभूति द्वारा पूर्णत: रक्षित हो. तथापि गोचर प्रतिभूति संबंधी शर्त उन मामलों में लागू नहीं होगा जहां बकाया रु. 5 लाख तक ही हो, क्योंकि लधु उद्योग/ छोटे उद्योगों के मामले में रु. 5 लाख तक के ऋण में संपार्श्विक प्रतिभूति की वांछनीयता समाप्त कर दी गयी है.

बी) ब्याज के घटक में पुनर्निधारण से कोई आस्ति अवमानक संवर्ग में अधोमुखी नहीं होगी बशर्ते कि अधित्याग राशि वर्तमान शर्तों के अनुरुप मूल्यांकित कर या तो बट्टे खाते डाल दी गयी है अथवा अधित्याग की गई राशि को प्रावधान किया गया है.

सी) वर्तमान शर्तों के अधीन उपर्युक्त (बी) में शामिल यदि ब्याज राशि में अधित्याग शामिल है तो उसे या तो बट्टे खाते डाला जाय अथवा अधित्याग की गई संपूर्ण राशि के लिए प्रावधान किया जाय.

ii) पुनर्निर्धारण के अधीन 'अवमानक' / 'संदिग्ध' खाता निरुपण

ए) सिर्फ मूलधन की किस्त का पुनर्निधारण किये जाने से 'अवमानक' / 'संदिग्ध' आस्ति एक निर्दिष्ट अवधि तक (नीचे पाराग्राफ 6 में परिभाषित के अनुरुप) 'अवमानक' / 'संदिग्ध' संवर्ग में ही रहेगा बशर्ते कि ऋणी की संपूर्ण बकाया राशि गोचर प्रतिभूति द्वारा पूर्णत: रक्षित हो. तथापि गोचर प्रतिभूति संबंधी शर्त उन मामलों में लागू नहीं होगा जहां बकाया रु. 5 लाख तक हों, क्योंकि लधु उद्योग/ छोटे उद्योगों के मामले में रु. 5 लाख तक के ऋण में संपार्श्विक प्रतिभूति की वांछनीयता समाप्त कर दी गयी है.

बी) ब्याज के घटक में पुनर्निधारण से 'अवमानक' / 'संदिग्ध' आस्ति एक निर्दिष्ट अवधि तक 'अवमानक' / 'संदिग्ध' संवर्ग में ही रहेगा बशर्ते कि अधित्याग की गयी राशि, यदि कोई हो, वर्तमान शर्तों के अनुरुप मूल्यांकित कर या तो बट्टे खाते डाल दी गयी है अथवा अधित्याग राशि का प्रावधान किया गया हो.

सी) यहां तक कि ऐसे मामले जिनमें अधित्याग विगत देय ब्याज को बट्टे खाते डालने के रूप में हो तो भी आस्ति 'अवमानक' / 'संदिग्ध' ही रहेगी.

iii) प्रावधान का निरुपण

ए) ब्याज में अधित्याग के लिए किये गये प्रावधान को लाभ/हानि खाते को नामे कर एक अलग खाते में रखना चाहिये. इस उद्धेश्य से खाते के वर्तमान बीपीएलआर के अनुरुप भविष्य में देय व्याज को ऋणी के जोखिम संवर्ग के समनुरुप दर से वर्तमान मूल्य पर बट्टागत करना चाहिये (यथा:- वर्तमान पीएलआर + ऋणी संवर्ग के अनुरुप उपयुक्त मियादी किस्त एवं ऋण जोखिम किस्त) एवं पुनर्संरचना पैकेज के अन्तर्गत अपेक्षित प्राप्य देय बकाया की वर्तमान मूल्य के साथ तुलना कर उसी आधार पर बट्टागत करना चाहिये.

बी) सभी भुगतान दायित्वों और खाते में बकाया शेष के पूर्णत: भुगतान का संतोषप्रद रुप से पूरा होने तक प्रत्येक तुलनपत्र तिथि को किए गये अधित्याग की पुनर्गणना की जाय ताकि बीपीएलआर, मियादी किस्त एवं ऋणी के ऋण संवर्ग में परिवर्तन के कारण खाते में हुए मूल्यगत परिवर्तन को पूरा किया जा सके.

सी) खाता के "मानक आस्ति" के रुप में पुन: वर्गीकृत किये जाने पर एनपीए के रुप में किये गये प्रावधान राशि को प्रत्यावर्तित कर दिया जाय.

5. अतिरिक्त वित्तपोषण

अतिरिक्त वित्तपोषण, यदि कोई हो, को सभी खातों में यथा :- मानक, अवमानक एवं संदिग्ध खातों में, अनुमोदित पुनर्निर्धारित पैकेज के अंतर्गत व्याज अथवा मूलधन के देय प्रथम किस्त के भुगतान के एक वर्ष पश्चात् तक, दोनों में जो पहले हो, " मानक आस्ति " ही माने जायेंगे. उपर्युक्त अवधि के समाप्त होने पर यदि पुनर्निर्धारित आस्ति उन्नयन हेतु पात्र नहीं होती है तो पुनर्निर्धारित ऋण के रुप में उसी आस्ति वर्गीकरण संवर्ग में अतिरिक्त वित्तपोषण किया जा सकता है.

6. पुनर्निर्धारित खातों का उन्नयन

उपर्युक्त अनुच्छेद 5 (ii) (ए) और (बी) के अनुरुप मूलधन अथवा व्याज किस्त के सन्दर्भ में अवमानक / संदिग्ध खाते**,** जो पुनर्निर्धारण के अधीन हैं वे निर्दिष्ट अवधि के पश्चात् अर्थात् पुनर्निर्धारण की शर्तों के अनुसार व्याज अथवा मूलधन के देय प्रथम किस्त के भुगतान के पश्चात् एक वर्ष तक, दोनों में जो पहले हो, मानक आस्ति के अन्तर्गत उन्नयन किये जाने के पात्र होंगे बशर्ते कि उक्त अवधि के दौरान उसका निष्पादन संतोषप्रद हो.

7. आस्ति वर्गीकरण स्थिति

निर्दिष्ट एक वर्ष की अवधि के दौरान पुनर्निर्धारित खातों के आस्ति वर्गीकरण की स्थिति में कोई गिरावट नहीं आयेगी यदि उक्त अवधि के दौरान संतोषप्रद निष्पादन परिलक्षित होता है. तथापि एक वर्ष की अवधि के दौरान संतोषप्रद निष्पादन परिलक्षित नहीं होने की स्थिति में पुनर्निर्धारित खाते का आस्ति वर्गीकरण पुनर्निर्धारण पूर्व भुगतान अनुसूची के अनुरुप लागू विवेकपूर्ण मानदंड के अनुसार किया जायगा. आस्ति वर्गीकरण प्रत्येक बैंक द्वारा वसूली निष्पादन पर आधारित बैंकों में लागू वर्तमान विवेकपूर्ण मानदंड के अनुसार बैंकवार होगा.

8. बारंबार पुनर्निर्धाण / पुनर्निर्धारण की आवृत्ति

उपर्युक्त अनुच्छेद 4, 5 एवं 6 में वर्णित आस्ति वर्गीकरण विषयक विशेष राहत खाता के पहली बार पुनर्निर्धारण किये जाने पर ही उपलब्ध होगी.

9. प्रक्रिया

(i) उधार लेनेवाली इकाई से इस आशय का अनुरोध प्राप्त होने पर ही पुनर्निर्धारण की प्रक्रिया आरंभ की जायगी.

(ii) पात्र एसएमई, जो संघीय /बहु बैंकिंग व्यवस्था के अन्तर्गत वित्तपोषित हैं, के मामले में अधिकतम वित्तपोषण करनेवाले बैंक दूसरे सबसे बड़े अंशदान करनेवाले बैंक के साथ पुनर्निर्धारण पैकेज तैयार करेंगे.

10. समय सीमा

बैंक पुनर्निर्धारण हेतु अनुरोध प्राप्त होने के अधिकतम 60 दिनों के अन्दर पुनर्निधारण पैकेज तैयार करेगा.

11. समीक्षा

बैंक एसएमई खातों के पुनर्वास एवं पुनर्निर्धारण की प्रगति की समीक्षा त्रैमासिक आधार पर करेंगे , अत: सभी शाखाओं से अनुरोध है कि वे निम्न प्रारुप पर प्रगति कार्रवाई त्रैमासिक अन्तराल पर प्रस्तुत करें.:-

ऋणियों की कुल संख्या	पुनर्निर्धारण के अधीन एसएमई आस्तियों की कुल राशि		पुनर्निर्धारण के अधीन एसएमई के मानक आस्तियों की कुल राशि		पुनर्निर्धारण के अधीन एसएमई के अवमानक आस्तियों की कुल राशि		पुनर्निर्धारण के अधीन एसएमई के संदिग्ध आस्तियों की कुल राशि	
	ईकाई	राशि	ईकाई	राशि	ईकाई	राशि	ईकाई	राशि

वर्ष के दौरान एसएमई खातों में किये गये पुनर्निर्धारण के क्रम बैंक द्वारा अपने प्रकाशित वार्षिक तुलन पत्र में " खातों पर टिप्पणी" शीर्ष के अंतर्गत निम्नलिखित जानकारी देना वांछनीय होगा :-

(ए) पुनर्निधारण के अधीन एसएमई आस्तियों की कुल राशि

{(ए) = (बी) + (सी) + (डी) }

(बी) पुनर्निधारण के अधीन एसएमई के मानक आस्तियों की कुल राशि

(सी) पुनर्निधारण के अधीन एसएमई के अवमानक आस्तियों की कुल राशि

(डी) पुनर्निधारण के अधीन एसएमई के संदिग्ध आस्तियों की कुल राशि

अत: वार्षिक लेखाबन्दी के समय शाखाएं उपर्युक्त जानकारी अपने क्षेत्रीय कार्यालय को प्रस्तुत करेंगी जो अपने क्षेत्र की समेकित स्थिति आंचलिक कार्यालय को प्रस्तुत करेंगी और जो सांविधिक लेखा परीक्षक द्वारा विधिवत् प्रमाणित समेकित स्थिति केन्द्रीय कार्यालय सीएडी को भारतीय रिजर्व बैंक के निदेशों के अनुरुप प्रकटीकरण अनुपालन हेतु प्रस्तुत करेंगी.